UNIVERSITY GRANT COMMISSION

CENTRAL REGIONAL OFFICE, BHOPAL - 462016

PROFORMA FOR SUBMISSION OF INFORMATION AT THE TIME OF SENDING THE FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE PROJECT

1.	Name and Address of Principal Investigator	:	**Dr. Seema Jaiswal**
2.	Name and Address of Institution	:	**Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai**
3.	UGC Approval No. and Date:		**F.No.MH-162/202081/XII/14-15/CRO 26/05/2015**
4.	Date of Implementation	:	**20/06/2015**
5.	Tenure of the Project	:	**2 Years (2015-16, 2016-17)**
6.	Total Grant Allocated	:	**3,00,000/-**
7.	Total Grant Received	:	**1,95,000/-**
8.	Final Expenditure	:	**3,01,514/-**
9.	Title of the Project	:	**Mnrega dwara sweekrit kiye gaye karyo ka vishleshanatmak addhyan Durg jile ke vieshesh sandarbh me**

Jaiswal
(Dr. Seema Jaiswal)
A.P. Commerce
Principal Investigator

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G)

PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalay
Junwani, BHILAI (C.G)

10. Objectives of the Project :

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायता पहुंचाना। (दुर्ग जिले के संदर्भ में)
- दुर्ग जिले में मनरेगा की उपलब्धियों का अध्ययन करना।
- मनरेगा द्वारा किये गये कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण विन्दु एवं व्यवसायों का अध्ययन करना।
- मनरेगा से दुर्ग जिले में लाभांवित लोगों का अध्ययन करना।
- मनरेगा के कार्य संचालन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।
- मनरेगा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के निवारण का अध्ययन करना।

11. Achievements of the Project :

- छत्तीसगढ़ राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन काम की गारंटी तथा महिलाओं की प्रसूति पर एक माह अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है।
- दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- दुर्ग जिले को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कृत किया गया है।
- दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत को 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G)

Dr. Seema Jaiswal
(A.P. Commerce)
Principal Investigator

PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G)

- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय करने वाला प्रथम जिला घोषित किया गया है व राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वाधिक व्यय करने वाले 10 जिलों में दुर्ग जिला शामिल है।
- छत्तीसगढ़ को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

12. Summary of the Findings :

शोध परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। यह अधिनियम राज्य शासन, स्वैच्छिक संगठन व पंचायतीराज संस्थाओं को अवसर प्रदान करती है कि वे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाकर अपने कार्यक्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य को पूरा कर सके। इस योजना के द्वारा जहां एक ओर श्रमिकों की स्थिति दयनीय है, कुछ श्रमिकों को छोड़कर अन्य श्रमिक इस योजना से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है क्योंकि इस योजना में रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत होने के पश्चात भी कई परिवारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा रोजगार प्राप्त हो जाने के बाद भी श्रमिकों को मजदूरी निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हो रही है जिससे श्रमिक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। योजना में समय पर कार्य उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों श्रमिक रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं तो दूसरी ओर इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के हजारों अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप दुर्ग जिला सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाला प्रथम जिला घोषित किया गया है तथा यह योजना बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हुई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा जिले में हुए विकास के पश्चात भी सरकार इस योजना के प्रति उदासीन है। सरकार द्वारा इस योजना के प्रति उदासीनता के कारण ही वर्तमान में श्रमिकों को योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हो

Jaiswal
Dr. Seema Jaiswal
(A.P. Commerce)
Principal Investigator

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G)

PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G)

रही है जिससे श्रमिक वर्ग योजना के लाभों से वंचित रह जाते हैं जिसका मुख्य कारण योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारीगण व कर्मचारियों का अपने कार्यों के प्रति निष्ठा का अभाव है। जिससे योजना संकट में है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है जो कि जिले में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिया गया है। योजना में अधिकारियों के द्वारा लापरवाही व गबन पर रोक लगाकर ही योजना का सही क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने से ही इस योजना का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

फिर भी योजना के संबंध में कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ही ग्रामीण विकास की परिकल्पना साकार होती हुए प्रतीत हो रही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों में सुधार होने से ग्रामीण परिवार को सहायता प्राप्त हुई है। योजना के माध्यम से निर्माण किए गए ग्रामीण पहुंच मार्ग से ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने हेतु आवागमन की समस्या से छुटकारा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मनरेगा में नए कार्यों के जुड़ जाने से योजना में वर्ष भर कार्य प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाती है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण करने की व्यवस्था से स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में सहायता प्राप्त हुई है।

अंत में योजना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम से ग्रामीण मजदूरों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, ग्रामीणों में क्रांति आई है। यह योजना ग्रामीण परिवारों का शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ राज्य को सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य की संज्ञा दी गई है। और अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा श्रमिकों की आत्मा है, श्रमिकों का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो श्रमिकों को जीवित रखती है।

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, Bhilai (C.G.)

Dr. Seema Jaiswal
(A.P. Commerce)
Principal Investigator

PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G.)

13. Contribution to the Society :

- प्रत्येक ग्राम पंचायत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य को पूरा कर सकती है।
- इस योजना में ग्रामीण परिवार की अधिक से अधिक भागीदारी, योजना की पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है।
- यह योजना ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीणों के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत श्रमिकों को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।
- यह योजना बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है।
- इस योजना के सही दिशा में क्रियान्वयन से निश्चित ही ग्रामीणों की दिशा व दशा में सकारात्मक परिवर्तन होंगे।
- यह शोध मनरेगा में शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए सहायक होगी।

14. Weather any Ph.D. Enrolled/Produced out of the Project : **No**

15. No. of Publication out of the Project : **02**

Dr. Seema Jaiswal
(A.P. Commerce)

Signature of Principal Investigator

Principal

PRINCIPAL
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G.)

U.G.C. CELL INCHARGE
Shri Shankaracharya Mahavidyalaya
Junwani, BHILAI (C.G.)

प्रकाशित शोध पत्र 1 एवं 2

Vol 6 Issue 11 Dec 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

Indian Streams Research Journal

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 11 | December - 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों का अध्ययन : दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में

Dr. Seema Jaiswal
Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya , Junwani, Bhilai.

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामवासियों के उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनका विकास करने हेतु केन्द्र सरकार की योजना है। इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप एक योजना तैयार करती है। इस योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साकार करने की कोशिश की जाती है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो मनरेगा सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'हर हाथ को काम और हर काम को दाम' है।

प्रस्तावना :–

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप में विद्यमान है। क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना

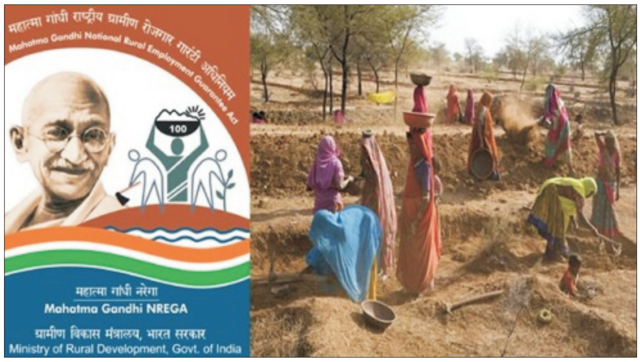

है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितम्बर 2005 को पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इसे प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ लागू किया गया तथा अप्रैल 2008 में यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध का उद्देश्यः–

शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–

1.मनरेगा द्वारा किये गये कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु एवं व्यवसायों का अध्ययन करना।

2.मनरेगा से दुर्ग जिले में लाभांवित लोगों का अध्ययन करना।

3.मनरेगा के कार्य संचालन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।

4.मनरेगा के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के निवारण का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :–

शोध के अध्ययन का क्षेत्र चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हो उसकी योजना पूर्व में ही कर लेनी चाहिए ताकि विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। प्रस्तुत शोध में निम्न प्रविधियों का पालन किया गया है।

i)आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण व सारणीयन

ii)प्रश्नावली का चयन

iii)निदर्शन विधि का उपयोग

iv)समंकों का ग्राफीय प्रदर्शन

v)समंकों का निर्वचन व विश्लेषण

परिकल्पनाः–

प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना की गई है।

1.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) दुर्ग जिले के ग्रामीण विकास में सहायक होगा।

2.दुर्ग जिले के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहायक होगी।

मनरेगा का प्रबंधनः–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत नियोजन व क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पंचायत अपने स्तर पर प्रधान होता है परंतु संविधान के भाग–9 जिन स्थानों पर लागू नहीं होता वहां के समस्त कार्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय परिषदों/प्राधिकरणों द्वारा संपन्न कराये जाते हैं। मनरेगा की धारा 13 में योजनाएं चाहे वे जिला, मध्यवर्ती और ग्रामस्तर की योजनाएं हो मुख्य प्राधिकारी ही बनाती है। ग्राम सभा छोटी–छोटी परियोजनाओं की एक विकास योजना तैयार करती है और उसे मंजूर करके ग्राम पंचायत को भेजती है। ग्राम पंचायत उसे प्रारंभिक छानबीन और मंजूरी के लिए कार्यक्रम अधिकारी के पास भेज देता है। कार्यक्रम अधिकारी पंचायत के प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायत के प्रस्तावों को प्रखंड योजना (ब्लाक प्लान) में समेकित करता है और मध्यवर्ती पंचायत की स्वीकृति के बाद उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास भेज देता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रखंड योजना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करता है और जिला पंचायत प्रखंड दर प्रखंड योजनाओं का अनुमोदन करती है तथा राज्य व केन्द्र सरकार योजना के क्रियान्वयन में सहायता करती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अनेक स्तरों की भूमिकाएं शामिल है। मुख्य स्तर इस प्रकार हैः–

1.मजदूरी मांगने वाले

2.ग्राम सभा (जनपद पंचायत)

3.ग्राम पंचायत

4.ब्लाक (विकासखंड) स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी

5.जिला कार्यक्रम समन्वयक

6.राज्य सरकार

7.ग्रामीण विकास मंत्रालय
8.सिविल सोसायटी

मनरेगा के कार्यः—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इस अधिनियम में उन कार्यों का भी वर्णन किया गया है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाए जाते हैं।

(i)वनीकरण, वृक्षारोपण और सूखे की रोकथाम से संबद्ध कार्य

(ii)जल संरक्षण एवं जल संग्रहण

(iii)भूमि विकास

(iv)सिंचाई नहरें, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य

(v)सिंचाई सुविधा, बागवानी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि का भू—विकास, इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि का भू—विकास, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की भूमि का भू—विकास।

(vi)पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, टैंको/तालाबों की गाद सफाई का कार्य

(vii)बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य

(viii)जल भराव वाले इलाकों में जल निकासी का कार्य

(ix)हर मौसम में ग्रामीण संपर्क बनाए रखने वाले कार्य

(x)सड़क निर्माण जहां आवश्यक हो वहां पुलिया का निर्माण

(xi)गांवों के भीतर जल निकास हेतु नालियां बनाना

(xii)मनरेगा के अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट की सड़क नहीं बनानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली सड़कों का निर्माण भी न हो तथा उन क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियां हो।

(xiii) अन्य वे सभी कार्य जिन्हें केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सलाह के बाद अधिसूचित किया हो।

मनरेगा के कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययनः—

छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा और घनी आबादी वाला जिला दुर्ग जिला है यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण—पश्चिम भाग में स्थित है। तथा दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का पांचवा संभाग बना।

दुर्ग जिले के विकासखण्डवार पंचायतों एवं ग्रामों की संख्या
2016 की स्थिति के अनुसार

विकासखण्ड	कुल पंचायत	कुल ग्राम
दुर्ग	72	80
धमधा	116	162
पाटन	109	146
कुल	297	388

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण परिवार हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में सुधार हुआ है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनेक कार्य प्रस्तावित व स्वीकृत किए जाते हैं दुर्ग जिले के अंतर्गत प्रत्येक (धमधा, पाटन, दुर्ग) विकासखंड में स्वीकृत व प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तालिका – 1
मनरेगा सूची 1 द्वारा स्वीकृत कार्य के प्रकार व स्थिति
(वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक)

क्र.	कार्य	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
		स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत
1.	आंगनबाड़ी / अन्य ग्रामीण सुविधाएं	-	-	-	01	-	-	03	-	-	79	-	-	116	-	-
2.	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	79	-	-	78	14	18%	64	09	14%	55	10	18%	45	12	27%
3.	सूखा से बचाव	111	10	9%	131	52	40%	89	25	28%	100	19	19%	133	05	4%
4.	बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण	03	03	100%	04	-	-	04	01	25%	03	-	-	03	-	-
5.	लघु सिंचाई कार्य	194	81	42%	188	56	30%	350	67	19%	678	72	11%	629	99	16%
6.	परम्परागत जलाशय का पुर्ननिर्माण	577	198	34%	729	213	29%	548	269	49%	571	205	36%	446	26	6%
7.	ग्रामीण पेयजय	05	-	-	05	03	60%	02	02	100%	-	-	-	25	25	100%
8.	निजी भूमि सुधार कार्य	164	04	2%	186	88	47%	98	33	34%	1302	20	2%	1297	143	11%
	कुल	**1133**	**296**	**26%**	**1322**	**426**	**32%**	**1158**	**406**	**35%**	**2788**	**326**	**12%**	**2694**	**310**	**12%**

आरेख क्रमांक – 1
मनरेगा द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य के प्रकार व स्थिति

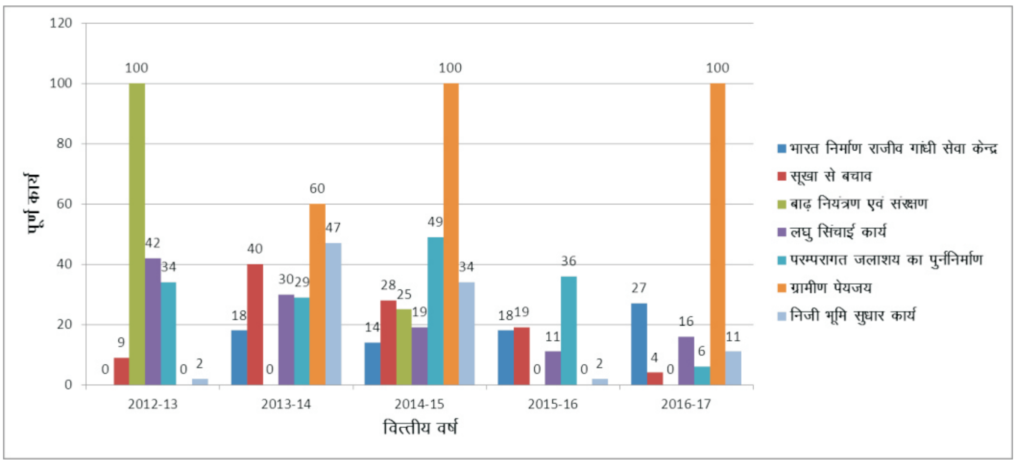

Volume - 6 | Issue - 11 | December - 2016

तालिका – 2
मनरेगा सूची 2
मनरेगा द्वारा स्वीकृत कार्य के प्रकार व स्थिति (नवीन कार्यों का वर्गीकरण)

क्र.	कार्य	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
		स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत
A	प्राकृतिक संसाधन संबंधित लोक निर्माण कार्य :–															
1.	जल संरक्षण	74	24	32%	71	31	44%	53	21	40%	63	06	10%	135	09	7%
2.	जल विभाजन प्रबंधन	02	01	50%	01	01	100%	01	-	-	08	01	13%	08	01	13%
3.	सिंचाई कार्य	194	81	42%	188	56	30%	350	67	19%	678	72	11%	629	99	16%
4.	परम्परागत जलाशय का निर्माण	577	198	34%	729	213	29%	548	269	49%	571	205	36%	446	26	6%
5.	वनरोपण	04	-	-	11	01	9%	11	01	9%	96	18	19%	129	05	4%
6.	भूमि विकास / समतलीकरण	59	06	10%	61	27	44%	36	26	72%	95	08	8%	97	03	3%
	A का योग	**910**	**310**	**34%**	**1061**	**329**	**31%**	**999**	**384**	**38%**	**1511**	**310**	**21%**	**1444**	**143**	**10%**
B	कमजोर वर्ग हेतु व्यक्तिगत संपत्तियां															
1.	भूमि की उत्पादकता में सुधार	09	-	-	09	05	56%	04	04	100%	211	02	0.95%	214	46	21%
2.	आजीविका में सुधार	56	07	13%	73	16	22%	64	13	20%	-	-	-	-	-	-
3.	बंजर भूमि का विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	गृह निर्माण	01	-	-	01	-	-	01	-	-	1014	-	-	1022	87	9%
5.	पशुधन संवर्द्धन	143	03	2%	165	78	47%	87	25	29%	78	18	23%	60	10	17%
6.	मत्स्य पालन का संवर्द्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B का योग	**209**	**10**	**5%**	**248**	**99**	**40%**	**156**	**42**	**27%**	**1303**	**20**	**2%**	**1296**	**143**	**11%**

मनरेगा सूची 2
मनरेगा द्वारा स्वीकृत कार्य के प्रकार व स्थिति (नवीन कार्यों का वर्गीकरण)

क्र.	कार्य	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
		स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत	स्वीकृत	पूर्ण	प्रतिशत
C	स्वयं सहायता समूह की NRLM स्वीकृति के लिए सामान्य मूलभूत सुविधाएं															
1.	कृषि उत्पादकता	10	-	-	10	06	60%	05	04	80%	-	-	-	-	-	-
2.	स्वयं सहायता समूह की जीविकोपार्जन हेतु सामान्य कार्यस्थल गतिविधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C का योग	**10**	-	-	**10**	**06**	**60%**	**05**	**04**	**80%**	-	-	-	-	-	-
D	ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं															
1.	ग्रामीण स्वच्छता	283	129	46%	3192	125	4%	5699	120	2%	7802	1899	24%	6135	3349	55%
2.	सड़क संपर्क / ग्रामीण पहुंच मार्ग	1160	294	25%	1519	431	28%	1161	463	40%	1054	478	45%	666	93	14%
3.	खेल का मैदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07	-	-	08	-	-
4.	विपदा पुनः स्थापन	03	03	100%	04	-	-	04	01	25%	03	-	-	03	-	-
5.	भवन संरचना	78	-	-	79	14	18%	67	09	13%	134	10	7%	158	12	8%
6.	खाद्यान्न भण्डारण संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	अपेक्षित भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	मरम्मत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	अन्य कार्य	145	35	24%	161	67	42%	95	40	42%	54	30	56%	24	12	50%
	D का योग	**1669**	**461**	**28%**	**4955**	**637**	**13%**	**7026**	**633**	**9%**	**9054**	**2417**	**27%**	**6994**	**3466**	**50%**
	महायोग	**2798**	**781**	**28%**	**6274**	**1071**	**17%**	**8186**	**1063**	**13%**	**10868**	**2747**	**25%**	**9734**	**3752**	**39%**

आरेख क्रमांक – 2
प्राकृतिक संसाधन संबंधित लोक निर्माण कार्य

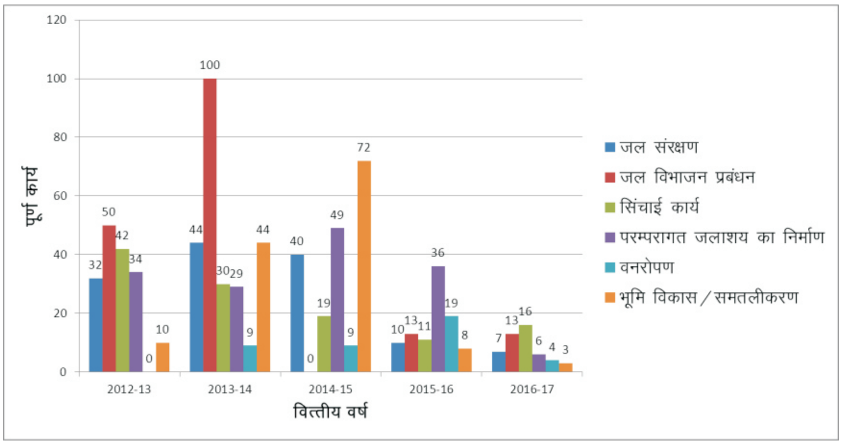

आरेख क्रमांक – 3
कमजोर वर्ग हेतु व्यक्तिगत संपत्तियाँ

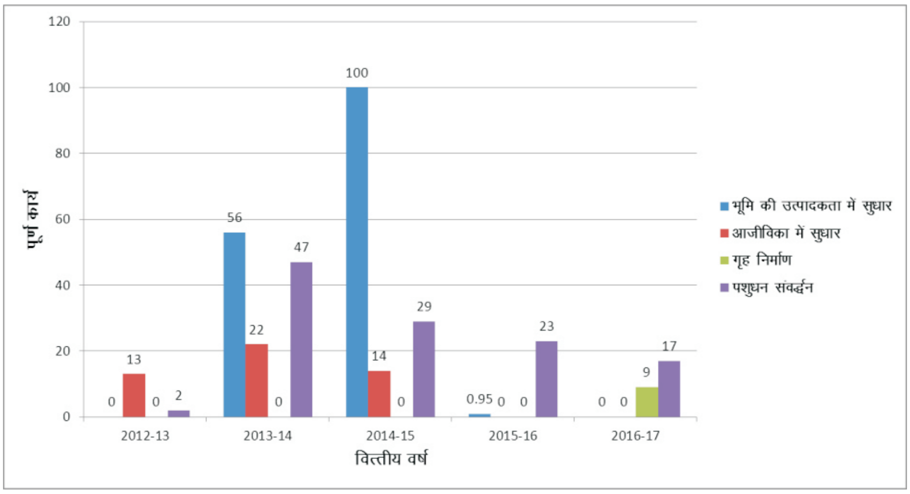

आरेख क्रमांक – 4
ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं

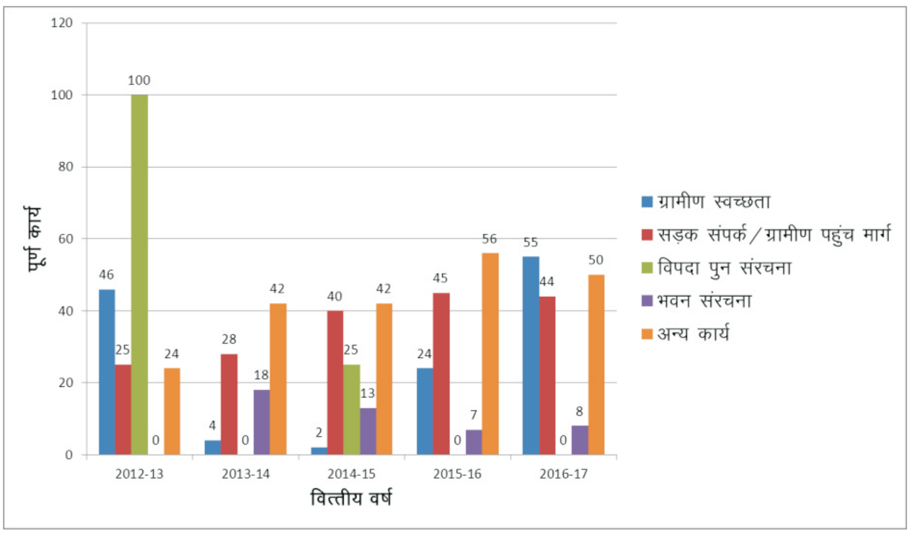

मनरेगा की समस्याएंः–
- रोजगार (जॉब) कार्ड का अभाव
- कार्य के सही अनुमान का अभाव
- राशि का दुरूपयोग
- भुगतान में देरी
- भ्रष्टाचार को बढ़ावा
- समय पर काम का अभाव
- कार्यों की अनियमितता
- मस्टर रोल में नकली प्रविष्टियां
- पर्याप्त नियंत्रण का अभाव
- मशीन का प्रयोग
- गुणवत्ता में कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- मजदूरी के लिए राशि का अभाव

मनरेगा की चुनौतियांः–
- अशिक्षित श्रमिक
- फर्जी मस्टर रोल
- बैंक व डाकघर से भुगतान
- जॉब कार्ड उपलब्ध कराना
- अनुदान का अनियमित प्रवाह
- प्रशासनिक चुनौती

समाधान :–
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को सरकार के द्वारा आवेदन से लेकर शिकायत निवारण तक की कार्य प्रक्रिया की जानकारी देकर उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए।
- फर्जी मस्टर रोल को रोकने के लिए श्रमिकों का भुगतान आधार भुगतान प्रणाली के द्वारा किया जाना चाहिए इसमें श्रमिकों का आधार नम्बर जॉब कार्ड में अंकित करवाकर बैंकों के माध्यम से भुगतान करना चाहिए।
- श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंको व डाकघरों को स्वयं आगे आना चाहिए व स्वयं ही औपचारिकता को पूरी करना चाहिए।
- सभी आवेदकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पर्याप्त निधि का भुगतान समय पर करना चाहिए ताकि परिवार को रोजगार उपलब्ध हो सके जिससे योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
- केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा नियमित अनुदान मनरेगा को मिलना चाहिए जिससे कार्य को निश्चित समय के अंदर पूरा किया जा सके और श्रमिकों को भी समय पर रोजगार का भुगतान किया जा सके।
- रोजगार रजिस्टर, मस्टर रोल बिल, रसीद को सुरक्षित कर मनरेगा के प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सकता है।

सुझाव :–
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
- मस्टर रोल में प्रविष्टि करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।
- सरकार को रोजगार दिवस की जानकारी लेनी चाहिए जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि समय पर रोजगार दिवस निर्धारित की जा सके।
- मजदूरी भुगतान संबंधी बैंको व डाकघरों के माध्यम से होने वाली कठिनाईयों को दूर करनके के लिए आधार कार्ड भुगतान प्रणाली के द्वारा भुगतान करना चाहिए।
- अनुदान से प्राप्त राशि का लेखा जोखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिससे राशि के गबन होने की संभावना को दूर किया जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सके।

निष्कर्षः–

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। एक ओर जहां इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के हजारों अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है उनके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यह योजना बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है। ग्रामीणों में क्रान्ति आई है। यह योजना ग्रामीण परिवारों का शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ राज्य को सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य की संज्ञा दी गई है।

संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र–पत्रिकाएँ
1.शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008.
2.Mehta, G.S. Management of Mgnrega, The Write to Work.
3.Ranjan, Annita, Mgnrega and Women Empowerment.
4.Puthenkalam, Joseph John, Human Development Strategy of Mgnrega.
5.Purohit, Ashok, Mgnrega and Rural Development.
6.फड़िया, डॉ. बी.एल., शोध पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन
7.जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
8.यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास.
9.पटेल, डी.सी. (2015). छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन
10.झा, विभाष कुमार, नैयर, डॉ. सौम्या, छत्तीसगढ़ समग्र
11.राय, पारसनाथ, राय, सी.पी. (2010–11). अनुसंधान परिचय
12.Mgnrega Sameeksha An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, 2006-2012.
13.महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006–2012.
14.पंचायत एवं ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका
15.आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14
16.छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2013 की दिशा निर्देश
17.छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2007 की दिशा निर्देश
18.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम समीक्षा 2006–2012
19.ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12
20.जिला पंचायत, दुर्ग
21.दैनिक समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया, हरिभूमि, अमृत संदेश, अग्रदूत
22.साप्ताहिक समाचार पत्र : रोजगार और निर्माण, Employment News

Website :
www.mgnrega.cg.gov.in
www.nrega.nic.in

Dr. Seema Jaiswal
Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya , Junwani, Bhilai.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org

Vol 6 Issue 6 Dec 2016

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

GRT Golden Research Thoughts

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 6 | December - 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भूमिका : दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में

Dr. Seema Jaiswal
Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya , Junwani, Bhilai.

सारांश :–
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन ग्रामीणों को जो शारीरिक श्रम करने को तैयार है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना रोजगार गारंटी के साथ उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण व विकास करने तथा गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है।

प्रस्तावना :–
भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ की थी। जिसमें से 83.35 करोड़ ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत थी परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या 134 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार का मुख्य व्यवसाय सामान्यतः कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। जो अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक रूप में विद्यमान है। हमारे देश में

बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों का अभाव है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अतः रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतु व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2008 से यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध का उद्देश्यः–
शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–
1.मनरेगा में महिलाओं में सशक्तिकरण में वृद्धि करना।
2.मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
3.मनरेगा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना।

शोध प्रविधि :–
शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामग्री, समंक व सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। प्राप्त समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध में प्राप्त समंकों को आवश्यक जांच व विश्लेषणात्मक तुलना करने के बाद ही सम्मिलित किए गए हैं। शोध प्रबंध में सांख्यिकीय परिसीमाओं व अपवादों को भी ध्यान में रखा गया है। इनके अलावा प्रश्नावली का चयन, निदर्शन विधि का उपयोग, समंकों का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

परिकल्पनाः–
प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना की गई है।
1.ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
2.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगी।

मनरेगा का परिचयः–
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 150 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पश्चात् प्रथम चरण में इस

Volume - 6 | Issue - 6 | December - 2016

योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिले में लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007–08 में 130 जिले इसमें और शामिल किये गये तत्पश्चात् 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यह योजना भारत सरकार की योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास हेतु लागू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निम्न उद्देश्य हैं :–

i)ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना।

ii)स्थायी परिसम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।

iii)ग्रामीण भारत में सूखा – बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।

iv)समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।

v)गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के जरिए विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजना को मजबूत बनाना।

vi)जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।

vii)शासन में अधिक पारदर्शित और जवाबदेही लाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।

आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण :–

छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा और घनी आबादी वाला जिला दुर्ग जिला है यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित है। तथा दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का पांचवा संभाग बना।

दुर्ग जिले के विकासखण्डवार पंचायतों एवं ग्रामों की संख्या
2016 की स्थिति के अनुसार

विकासखण्ड	कुल पंचायत	कुल ग्राम
दुर्ग	72	80
धमधा	116	162
पाटन	109	146
कुल	297	388

तालिका क्रमांक 1
दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक

क्र.	ब्लाक	वर्ष 2012–13			वर्ष 2013–14			वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17		
		कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत
1.	दुर्ग	709102	551469	78%	871783	693309	80%	349038	274509	79%	531760	430918	81%	411199	323754	79%
2.	धमधा	997026	546228	55%	1158560	659113	57%	666082	375816	56%	575546	343044	60%	416973	236632	57%
3.	पाटन	1334669	791045	59%	1481297	925959	63%	749037	465168	62%	842918	553370	66%	795227	488707	61%
	कुल	**3040797**	**1888742**	**62%**	**3511640**	**2278381**	**65%**	**1764157**	**1115493**	**63%**	**1950224**	**1327332**	**68%**	**1623399**	**1049093**	**65%**

Volume - 6 | Issue - 6 | December - 2016

आरेख क्रमांक 1
दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक

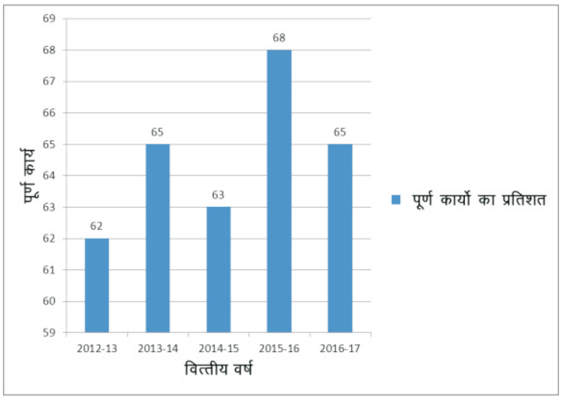

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष में 2012–13 में मनरेगा के अंतर्गत कुल 3040797 श्रमिकों में से 1888742 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया जो कुल का 62: है वर्ष 2013–14 में कुल श्रमिकों की संख्या 3511640 है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 2278381 है जो कुल का 65: है इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में कुल 1764157 श्रमिक है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 1115493 है जो कुल का 63: है वर्ष 2015–16 में 1950224 कुल श्रमिक में से 1327332 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया है जो कुल का 68: है तथा वर्ष 2016–17 में भी कुल 1623399 श्रमिक है जिसमें 1049093 महिला श्रमिकों ने रोजगार प्राप्त किया जो कि कुल का 65: है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 33: आरक्षण से अधिक है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 2
मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण
वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2016–17 तक

वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय
2008-09	57.63
2009-10	88.46
2010-14	110.54
2011-12	120.70
2012-13	131.06
2013-14	145.23
2014-15	155.53
2015-16	154.46
2016-17	160.95

आरेख क्रमांक 2
मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण
वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2016–17 तक

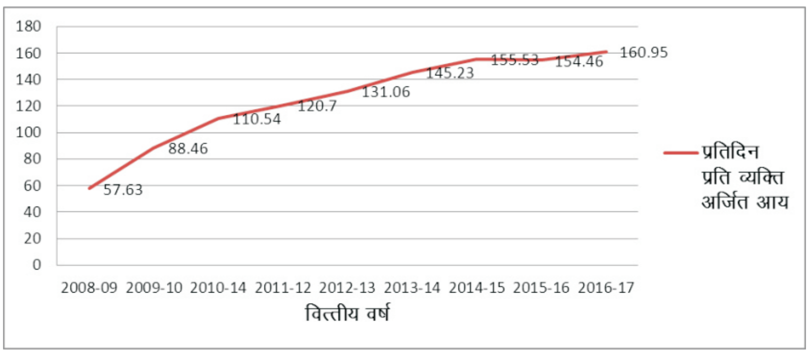

तालिका का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत देय मजदूरी, मजदूरी अधिनियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2008–09 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय 57.63 रूपये, वर्ष 2009–10 में 88.46, वर्ष 2010–11 में 110.54, वर्ष 2011–12 में 120.70, वर्ष 2012–13 में 131.06, वर्ष 2013–14 में 145.23, वर्ष 2014–15 में 155.53, वर्ष 2015–16 में 154.46 व वर्ष 2016–17 में 160.95 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय निर्धारित की गई है। इस प्रकार मनरेगा में मजदूरी वृद्धि से महिला श्रमिकों की शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है।

उपलब्धियाँ :–

- छत्तीसगढ़ राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन काम की गारंटी तथा महिलाओं की प्रसूति पर एक माह अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है।
- दुर्ग जिले में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- दुर्ग जिले को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कृत किया गया है।
- दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत को 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

समस्याएँ :–

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।
- महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो के द्वारा गड़बड़ी की जाती है।
- मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से होता है। अतः महिला श्रमिकों को बैंकों की औपचारिकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती है।
- महिला श्रमिकों की फर्जी मस्टर रोल बनाया जाता है जिससे महिलाएँ योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती है।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है।
- महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- ठेकेदारों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
- महिलाओं को ग्रामीण सीमा के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

समाधान :–

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 या ज्यादा बच्चें हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए और झूलाघर की देखरेख के लिए महिला श्रमिक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।
- महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई जालसाजी को जान सके।
- महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंकों व डाकघरों को स्वयं आगे आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित औपचारिकताएँ पूरी करनी चाहिए।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
- ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के 05 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुझावः–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- सरकार को ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक लाभांवित हो सके।
- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
- योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौरपर की जानी चाहिए जिससे कार्यों का विशिष्टिकरण होगा जिसका लाभ श्रमिकों व सरकार दोनों को प्राप्त होगा।
- ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते हैं उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसे विसंगति को रोका जा सके।

• कार्यस्थल पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।
• मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इस योजना का ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के माध्यम से ही दुर्ग जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा दुर्ग जिले को सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा है, महिलाओं का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो महिलाओं का जीवित रखती है।

संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र–पत्रिकाएँ

1.शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008.
2.Mehta, G.S. Management of Mgnrega, The Write to Work.
3.Ranjan, Annita, Mgnrega and Women Empowerment.
4.Puthenkalam, Joseph John, Human Development Strategy of Mgnrega.
5.Purohit, Ashok, Mgnrega and Rural Development.
6.फड़िया, डॉ. बी.एल., शोध पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन
7.जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
8.यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास.
9.पटेल, डी.सी. (2015). छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन
10.झा, विभाष कुमार, नैयर, डॉ. सौम्या, छत्तीसगढ़ समग्र
11.राय, पारसनाथ, राय, सी.पी. (2010–11). अनुसंधान परिचय
12.Mgnrega Sameeksha An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, 2006-2012.
13.महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006–2012.
14.पंचायत एवं ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका
15.आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14
16.छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2013 की दिशा निर्देश
17.छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2007 की दिशा निर्देश
18.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम समीक्षा 2006–2012
19.ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12
20.जिला पंचायत, दुर्ग
21.दैनिक समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया, हरिभूमि, अमृत संदेश, अग्रदूत
22.साप्ताहिक समाचार पत्र : रोजगार और निर्माण, Employment News

Website :

www.mgnrega.cg.gov.in
www.nrega.nic.in

Dr. Seema Jaiswal
Assistant Professor, Shri Shankaracharya Mahavidyalaya , Junwani, Bhilai.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org